रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 18, 1970/ ज्येष्ठ 28, 1892
No. 105] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1970/JYAISTHA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th June 1970

SUBJECT.—*Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure*, 1970.

No. 84-ITC(PN)/70.—Attention is invited to para 3 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 66-ITC(PN)/70, dated the 4th May, 1970 according to which the last dates prescribed for submission of applications for import licences under the import policy for Registered Exporters and Established Importers for the period April 1970—March 1971 have been extended by a period of one month.

2. It is clarified that the extension of one month in the prescribed time limit for submission of applications for import licences under the import policy for Registered Exporters for the period April 1970—March 1971 will be applicable only in respect of applications either made on quarterly basis against exports made during the quarter January-March' 70 or those made on monthly basis against exports made during the month of March 1970.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 1970

विषय :—970 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण सम्बन्धी नियम और कार्य विधि का हैंड बुक

संख्या 84-आई टी सी (पी एन)/70:—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 66-आई टी० सी (पी० एन०)/70 दिनांक 4-5-70 के पैरा 3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार आयात नीति के अन्तर्गत पंजी कृत निर्यातकों तथा संस्थापित आयातकों के लिए अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिए आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि एक महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि आयात नीति के अन्तर्गत अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों को आयात लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक माह की वृद्धि केवल उसी स्थिति में दी जाएगी, जिन्होंने जनवरी—मार्च, 1970 की त्रैमासिक अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए त्रैमासिक के आधार पर आवेदन किया है या जिन्होंने मार्च, 1970 के महीने के दौरान किए गए आयात के लिए माहवार के आधार पर किया है।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970